# <u>न्यायालय— अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1,गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश</u> (समक्ष— प्रतिष्ठा अवस्थी)

<u>व्यवहार वाद क.174 ए/2015</u> संस्थापित दिनांक 02/09/2014 फाईलिंग नम्बर 230303010752014

> 1 लालिकशन पुत्र रामचरन जाित जाटव उम्र 35 साल निवासी ग्राम सिरसौदा परगना गोहद,जिला भिण्ड म0प्र0

> > <u>.....</u> वादी

#### बनाम

- 1. कटोरीबाई पत्नि रन्धीर सिंह आयु 55 साल जाति जाटव विासी ग्राम सिरसौदा तहसील गोहद जिला भिण्ड म0प्र0
- म0प्र0शासन द्वारा–श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला भिण्ड म0प्र0

..... प्रतिवादीगण

वादी द्वारा अधि०श्री जी०एस०निगम । प्रतिवादी क०1 द्वारा अधि०श्री पी०एन०भटेले। प्रतिवादी क.2 द्वारा अधि०श्री दीवान सिंह गुर्जर।

## <u>:- निर्णय -:</u>

# (आज दिनांक 31/1/2017 को घोषित किया)

वादी द्वारा यह वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध ग्राम सिरसौदा तहसील गोहदमें स्थित वादग्रस्त मकान जिसका क्षेत्रफल 900 वर्गफीट है जिसके उत्तर में गोहद धमसा मार्ग दक्षिण मे औंतार सिंह का मकान पूर्व में नारायण का मकान तथा पश्चिम में आम रास्ता स्थित है जिसका मानचित्र वादपत्र के साथ संलग्न है की स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा तथा वसीयतनामा दिनांक 24/06/14 को शून्य घोषित कराने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में वादपत्र इस प्रकार है कि ग्राम सिरसौदा कॉलौनी तहसील गोहद में म0प्र0 शासन के द्वारा अनुसूचित जाति एवं जन जाति के व्यक्तियों के लिये आवासहीन योजना के अंतर्गत आवासीय पट्टे प्रदान किये गये थे जिसमें एक पट्टा मृतक रामस्वरूप को 900 वर्गफीट का न्यायालय तहसीलदार गोहद के प्र0क023/87-89-ब-121 आदेश दिनांक 19/11/88 से भूमि सर्वे क.811 रकवा 0.65 हेक्टेयर से प्राप्त हुआ था उक्त पट्टे वाले भू खण्ड पर मृतक रामस्वरूप एवं वादी लालिकशन ने मेहनत मजूदरी करके पक्का मकान बनाया है उक्त वादग्रस्त मकान के लम्बाई पूर्व से पश्चिम 30 फीट एवं उत्तर से दक्षिण 30 फीट है जिसके उत्तर में गोहद धमसा मार्ग दक्षिण में औतार सिंह का

मकान पूर्व मे नारायण का मकान तथा पश्चिम में आम रास्ता स्थित है। मृतक रामस्वरूप अपने जीवनकाल में वादी के साथ निवास करते रहे थे रामस्वरूप की मृत्यू दिनांक 09/07/14 को हो चुकी है एवं वादग्रस्त मकान में वादी एकांकी रूप से निवास कर रहा हैं। मृतक रामस्वरूप के बाबा धनीराम के 05 पुत्र आदिराम,बैजनाथ,मातादीन,रणधीर एवं रामचरन थे जिसमें से आदिराम तथा बैजनाथ की मृत्यू अविवाहित रहने के दौरान हुई थी एवं मातादीन के दो पुत्र रामस्वरूप एवं अंगद थे तथा रामचरन का पुत्र वादी लालकिशन है एवं मृतक रणधीर की पत्नि प्रतिवादी क01 कटोरीबाई है धनीराम के सभी पांचों पुत्रों की मृत्यु हो चुकी है मातादीन के दो पुत्र रामस्वरूप एवं अंगद थे रामस्वरूप की मृत्यु दिनांक 09/07/14 को हो चुकी है एवं अंगद का 12 वर्ष से कही पता नहीं है अंगद ने सन्यास धारण कर लिया है अतः मृतक रामस्वरूप का एक मात्र वारिस वादी लालकिशन है। मृतक रामस्वरूप हमेशा से ही वादी लालकिशन के साथ रहा है एवं रामस्वरूप ने अपने जीवनकाल में कोई दानपत्र विक्रयपत्र,वसीयत इत्यादि नहीं की है रामस्वरूप की मृत्यू र्निवसीयत हुई है। प्रतिवादी कटोरीबाई अत्यन्त चालाक महिला है जो मृतक रामस्वरूप को दिनांक 24/06/14 को अति गरीबी रेखा का राशनकार्ड बनवाने के लिये तहसील न्यायालय में ले गई थी एवं धोखा देकर राशन कार्ड बनवाने के स्थान पर वसीयतनामा अपने हक में निष्पादित करा लिया था वसीयतनामा मृतक रामस्वरूप की इच्छा के विरूद्ध हुआ है। रामस्वरूप कभी भी कटोरीबाई को मकान नहीं देना चाहता था क्योंकि वह हमेशा से ही वादी के साथ रहा है मृतक रामस्वरूप को फर्जी वसीयतनामा की जानकारी हुई थी तो वह बीमार हो गया था एवं चलने फिरन में असमर्थ हो हो गया था तब उसने दिनांक 29/06/14 को गांव के पंच सरपंच आदि लोगों को बुलाया था एवं सभी के सामने पंचनामा लिखकर कहा था कि वह विवादित मकान लालकिशन को दे रहा है इसके कुछ पश्चात ही दिनांक 09/07/14 को रामस्वरूप की मृत्यू हो गई थी मृतक रामस्वरू के सभी धार्मिक कर्मकांड वादी लालकिशन ने किये थे एवं लालकिशन ने ही मृत्यु भोज दिया था तथा रामस्वरूप काचबृतरा बनवाया था प्रतिवादी कटोरीबाई का वादग्रस्त मकान से कोई संबंध नहीं हैं। कटोरीबाई ने कभी भी रामस्वरूप के साथ निवास नहीं किया है। कटोरीबाई ने छलकपूर्वक रामस्वरूप से वसीयतनामा निष्पादित कराया है। दिनांक 24/08/14 को प्रतिवादी कटोरीबाई ने आकर वादी को धमकी दी थी एवं वादग्रस्त मकान में निवास करने के लिये कहा था । वादी वादग्रस्त मकान का एक मात्र स्वत्व एवं आधिपत्यधारी है प्रतिवादी का वादग्रस्त मकान से कोई संबंध नहीं है। अतः वाद प्रस्तुत कर वादी का निवेदन है कि वादी को वादग्रस्त मकान का स्वत्व एवं आधिपत्यधारी घोषित किया जावे वसीयतनामा दिनांक 24/06/14 शुन्य घोषित किया जावें एवं प्रतिवादी को स्थाई रूप से निषेधित किया जावे कि वह वादी के आधिपत्य में अवैध हस्तक्षेप न करें।

3. प्रतिवादी क्01 द्वारा वादपत्र का खण्डन करते हुये उत्तर वादपत्र प्रस्तुत कर व्यक्त किया गया है कि वादी द्वारा असत्य आधारों पर वाद प्रस्तुत किया गया है आवासहीन योजना के अंतर्गत प्रतिवादियों के भतीजे मृतक रामस्वरूप को अवासीय पट्टा दिया गया था तब रामस्वरूप ने मेहनत मजदूरी करके उक्त प्लॉट पर मकान बनवाया था। प्रतिवादी क्01 मृतक रामस्वरूप की चाची है एवं वह मृतक रामस्वरूप के साथ विवादित मकान में निवास करती थी वादी अपने चारो भाईयों के साथ ग्राम सिरसौदा में पुराने मकान में निवास कर रहा हैं। प्रतिवादी क्01 बिना पढी लिखी ग्रामीण महिला है दिनांक 24/06/14 को मृतक रामस्वरूप ने स्वेच्छया से विवादित मकान का वसीयतनामा प्रतिवादी क01 के पक्ष में लिखवाया था वादी का विवादित भवन सेकोई संबंध नहीं हैं। वादी लालकिशन कभी भी मृतक रामस्वरूप के साथ नही रहा है मृतक रामस्वरूप प्रतिवादी क्01 का सगा भतीजा था एवं प्रतिवादी क01

के साथ ही विवादित मकान में निवास करता था। मृतक रामस्वरूप ने विधिवत प्रतिवादी क01 के हक में वसीयतनामा निष्पादित किया था वसीयत के आधार पर प्रतिवादी क01 वादग्रस्त मकान की एक मात्र स्वत्व एवं आधिपत्यधारी है वादी का विवादित मकान से कोई संबंध नहीं हैं अतः प्रस्तुत वाद निरस्त किया जावें।

- 4. प्रतिवादी क02 द्वारा प्रकरण में जबावदावा प्रस्तुत नहीं किया गया हैं।
- 5. उपरोक्त अभिवचनों के अवलोकन से मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा निम्नलिखित वाद प्रश्न विरचित किये गये है जिनके सम्मुख मेरे निष्कर्ष अंकित है।

वाद प्रश्न निष्कर्ष क्या वादी ग्राम सिरसौंदा तहसील गोहद में स्थित वादग्रस्त मकान जिसका क्षेत्रफल 900 वर्गफुट है जिसके उत्तर में गोहद धमसा मार्ग दक्षिण में औतार सिंह का मकान पूर्व में नारायण का मकान तथा पश्चिम में आम रास्ता स्थित है जिसका मानचित्र वादपत्र के प्रमाणित नहीं साथ संलग्न है का एक मात्र स्वत्व व आधिपत्यधारी है? क्या प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त मकान में वादी के आधिपत्य में 2. अवैध हस्तक्षेप किया जा रहा है? प्रमाणित नहीं क्या वसीयतनामा दिनांक 24/6/14 शून्य घोषित किये जाने 3. प्रमाणित नहीं क्या वादी स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता प्राप्त करने का अधिकारी है? नहीं 4. क्या वादी द्वारा वाद का मूल्याकंन उचित रूप से प्यप्ति न्यायश्लक 5. अदा किया गया है? हॉ क्या प्रस्तुत वाद विर्निदिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत 6. प्रचलन योग्य है? सहायता एवं व्यय? वाद निरस्त किया गया 7.

### निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण वाद प्रश्न कमांक-1

6. उक्त वाद प्रश्न के संबंध में वादी लालकिशन वा0सा01 द्वारा अपने वादपत्र एवं शपथपत्र में यह अभिवचित किया गया है कि म0प्र0शासन द्वारा ग्राम सिरसौंदा तहसील गोहद में अनुसूचित जाति जन जाति के आवासहीन व्यक्ति को 900 वर्गफीट के पट्टे तहसीलदार महोदय के आदेश दिनांक 19/1/88 से प्रदान किये गये थे उक्त पट्टो में से एक पटटा मृतक रामस्वरूप को दिया गया था जिसके उत्तर में गोहद धमसा मार्ग दक्षिण में औतार सिंह का मकान पूर्व में नारायण सिंह का मकान एव पश्चिम में आम रास्ता स्थित था उक्त पट्टे वाली जगह पर मृतक रामस्वरूप तथा वादी लालकिशन ने मेहनत मजदूरी करके पक्का मकान निर्मित किया था चूंकि रामस्वरूप अविवाहित था उसके कोई वारिस नहीं था इसलिये रामस्वरूप अपने छोटे भाई रामचरन के पुत्र वादी लालकिशन को साथ रखता था एवं वादी ही मृतक रामस्वरूप का वारिस था रामस्वरूप की मृत्यु दिनांक 09/7/14 को हो चुकी है। वादी मृतक रामस्वरूप का एक मात्र वारिस हैं मृतक रामस्वरूप ने अपने जीवनकाल में किसी भी व्यक्ति को वादग्रस्त मकान की बसीयत विक्रय दान इत्यादि नहीं किया हैं। वसीयतनामें की जानकारी होने पर मृतक रामस्वरूप ने गांव के पंचों के समक्ष दिनांक 29/06/14 को पंचनामा लिखवाया था तथा उक्त

पंचनामें में वादी को अपना वारिस नियुक्त किया था प्रतिवादी कटोरीबाई ने छल करके दिनांक 24/06/14 को मृतक रामस्वरूप से अपने हक में वसीयतनामा निष्पादित करा लिया था जिसमें प्रतिवादी ने अपनी पुत्री चमेलीबाई एवं दामाद लालकिशन को साक्षी बनाया था मृतक रामस्वरूप ने स्वेच्छया से कोई वसीयतनामा नहीं किया था वसीयतनामें की जानकारी मिलते ही मृतक रामस्वरूप ने दिनांक 29/06/14 को लालकिशन को अपना वारिस नियुक्त किया था। अपने अभिवचनों के समर्थन में वादी ने ग्राम सिरसौंदा का पंचनामा प्र0पी03 रामस्वरूप की मृत्यु का कार्ड प्र0पी04 एवं संवत 2067 लगायत 2071 का खसरा प्र0पी05 प्रकरण में प्रस्तुत किया हैं।

- 07. प्रतिपरीक्षण के पद क06 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वह चार भाई केशव,सतीश, एवं सुजान है एवं यह भी स्वीकार किया हैकि वह चारो भाई सिरसौंदा मकान में निवास करते है प्रतिवादी क01 उसके दाउ रणधीर सिंह की पत्नि है तथा मृतक रामस्वरूप की चाची हैं। रामस्वरूप 30 साल से बीमार थे वह चलने फिरने की स्थिति में नहीं थे रामस्वरूप ने मरने के 15 दिन पहले कटोरीबाई के हक में वसीयतनामा किया था एवं स्पष्ट किया है कि छल से रिजस्ट्री कराई थी। उसे वसीयत होने के डेढ माह बाद पता चला था तब तक रामस्वरूप खत्म हो चुके थे पंचनामा रामस्वरूप के मरने के पहले ही बन गया था रामस्वरूप के मरने के डेढ माह पहले पंचनामा बन गया था उसे जानकारी नहीं है कि पंचनामें की लिखा पढ़ी किसने की थी। इसके तुरन्त पश्चात ही उक्त साक्षीद्वारा यह भी व्यक्त किया हैकि पंचनामा सरपंच ने बनाया था सरपंच ही लिखकर लाये थे। पद क07 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया हैकि उसने वसीयतनामा प्रकरण में पेश नहीं किया हैं एवं यह भी स्वीकार किया है कि दिनांक 24/06/14 को रामस्वरूप ने कटोरीबाई के हक में वसीयतनामा किया था। विवादित मकान में वह भी रहता है और कटोरीबाई भी रहती है तथा यह भी स्वीकार किया है कि कटोरीबाई सीधी—सादी अनपढ़ महिला हैं।
- 08. वादी साक्षी केशव सिंह वा0सा2 ने भी वादी के अभिवचनों के समर्थन में शपथपत्र प्रस्तुत किया है। प्रतिपरीक्षण के पद क04 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि कटोरीबाई विधवा थी इसलिये रामस्वरूप के साथ रहती थी वादग्रस्त मकान में कटोरीबाई एवं रामस्वरूप रहते थे तथा यह भी स्वीकार किया है कि रामस्वरूप मरने के पहले कटोरीबाई को वसीयत कर गये थे रामस्वरूप के मरने के एक माह पहले पंचनामा लिखा गया था लालकिशन ने लिखा पढी की थी। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया हैकि रामस्वरूप का मकान लालकिशन हडपना चाहता हैं।
- 09. प्रतिवादी कटोरीबाई प्र0सा01 द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि मृतक रामस्वरूप उसका सगा भतीजा था आवासहीन योजना के तहत 28 वर्ष पहले मृतक रामस्वरूप को जमीन का पट्टा मिला था एवं उक्त प्लॉट पर मृतक रामस्वरूप ने अपना मकान बनाया था तथा वह मृतक रामस्वरूप के साथ रहती थी रामस्वरूप हरप्रकार से उसकी सहायता करता था दो साल पहले मृतक रामस्वरूप ने उसके हक में वसीयत की थी गोहद में पंजीयन कार्यालय में पंजीयन हुआ था वसीयत के आधार पर वह विवादित प्लॉट एवं मकान की स्वत्व व आधिपत्यधारी है लालकिशन का विवादित मकान से कोई संबंध नहीं हैं।
- 10. तर्क के दौरान वादी अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया है कि वादी मृतक रामस्वरूप का वारिस होकर वादग्रस्त मकान का स्वत्व एवं आधिपत्यधारी है मृतक रामस्वरूप द्वारा

प्रतिवादी क01 के हक में कोई वसीयत निष्पादित नहीं की गई है जबिक प्रतिवादी क01 के अधिवक्ता द्व ारा तर्क के दौरान यह व्यक्त किया गया है कि प्रतिवादी क01 वसीयत के आधार पर वादग्रस्त मकान की स्वामी है वादी का वादग्रस्त मकान से कोई संबंध नहीं हैं।

- 11. प्रस्तुत प्रकरण में वादी लालिकशन वा0सा01 द्वारा यह अभिवचिनत किया गया है कि मृतक रामस्वरूप को म0प्र0शासन द्वारा वर्ष 1988 में 30गुणा 30 वर्गफीट भूमि तहसीलदार महोदय के आदेश दिनांक 19/1/88 द्वारा पटटे पर दी गई थी जिस पर मृतक रामस्वरूप ने वादी के साथ मिलकर मेहनत मजदूरी करके पक्का मकान बनाया था तथा मृतक रामस्वरूप वादी लालिकशन का दाथा मृतक रामस्वरूप अविवाहित था इसलिये वह लालिकशन को अपने साथ रखता था एवं वादी लालिकशन ही मृतक रामस्वरूप का वारिस था। मृतक रामस्वरूप ने विवादित मकान की वसीयत कटोरीबाई के हक में नहीं की थी प्रतिवादी कटोरीबाई मृतक रामस्वरूप को अति गरीबी रेखा का राशनकार्ड बनवाने के लिये तहसील में ले गई थी तथा राशनकार्ड के स्थान पर कटोरीबाई ने मृतक रामस्वरूप से अपने हक में कसीयतनामा निष्पादित करा लिया था जबिक मृतक रामस्वरूप ने कटोरीबाई के हक में कोई वसीयत निष्पादित नहीं की थी। वसीयतनामें की जानकारी मिलने के बाद मृतक रामस्वरूप ने दिनांक 29/06/14 को वादी के हक में प्र0पी03 का पंचनामा लिखवाया था। जबिक प्रतिवादी द्वारा इन सभी तथ्यों का खण्डन किया गया है एवं व्यक्त किया गयाहै कि मृतक रामस्वरूप ने स्वेच्छया से उसके हक में विवादित मकान के संबंध में वसीयतनामा निष्पादित किया था।
- इस प्रकार वादी लालकिशन वा0सा01 द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि 12. मृतक रामस्वरूप ने प्रतिवादी कटोरीबाई के हक में कोई वसीयत निष्पादित नहीं की थी एवं वसीयतनामा दिनांक 24/06/14 पर प्रतिवादी कटोरीबाई ने छलपूर्वक मृतक रामस्वरूप के हस्ताक्षर करा लिये थे परन्तु वादी द्वारा वसीयतनामा दिनांक 24/06/14 को अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। द्वारा वसीयतनामा दिनांक 24/06/14 को शून्य घोषित कराने के लिये यह बाद प्रस्तुत किया गया है परन्तु वादी द्वारा वसीयतनामा दिनांक 24/06/14 को अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है न ही वादी द्वारा वसीयनामा दिनांक 24/06/14 को अभिलेख पर प्रस्तुत कराने का न्यायालय से कोई निवेदन किया गया है। इसके अतिरिक्त वादी लालकिशन वा0सा01 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी बताया है कि रामस्वरूप ने मरने के 15 दिन पहले कटोरीबाई के हक में वसीयत निष्पादित की थी तथा उसे वसीयत होने के डेढ माह बाद पता चला था तब तक मृतक रामस्वरूप खत्म हो गये थे इस प्रकार वादी लालकिशन वा0सा01 के उक्त कथन से यही प्रकट होता है कि वादी को प्रतिवादी कटोरीबाई के हक में निष्पादित वसीयत की जानकारी वसीयतकर्ता रामस्वरूप की मृत्यु के बाद हुई थी। इसके पश्चात वादी लालकिशन वा0सा01 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी बताया है कि प्र0पी03 का पंचनामा रामस्वरूप के मरने के डेढ माह पहले बन गया था जबकि वादी द्वारा अपने वादपत्र में यह अभिवचनित किया गया है कि प्र0पी03 का पंचनामा दिनांक 29/06/14 को बना था एवं रामस्वरूप की मृत्यु दिनांक 09/07/14 को हो गई थी इस प्रकार उक्त बिन्दु पर वादी के कथन अपने परीक्षण के दौरान परस्पर विरोधाभाषी रहे हैं।
- 13. वादी लालकिशन वा०सा०1 ने अपने वादपत्र में यह अभिवचनित किया हैकि मृतक रामस्वरूप अपने जीवनकाल में उसके साथ वादग्रस्त मकान में निवास करते थे तथा रामस्वरूप की

मृत्यु उपरांत वह विवादित मकान में एकांकी रूप से निवास करता है परन्तु प्रतिपरीक्षण के पद क07 में उक्त साक्षी द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि विवादित मकान में कटोरीबाई भी रहती है तथा यह भी स्वीकार किया हैकि रामस्वरूप ने अपने जीवनकाल में कटोरीबाई के हक में विवादित मकान का दिनांक 24/06/14 को वसीयतनामा निष्पादित किया था इस प्रकार उक्त बिन्दु पर भी वादी लालकिशन वा0सा01 के कथन अपने परीक्षण के दौरान परस्पर विरोधाभाषी रहे है वादी लालकिशन वा0सा01 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान स्वयं यह स्वीकार किया है कि मृतक रामस्वरूप ने प्रतिवादी कटोरीबाई के हक में वादग्रस्त मकान की वसीयत की थी।

- 14. जहां तक वादी साक्षी केशव सिंह वा०सा02 के कथन का प्रश्न है तो केशव सिंह वा०सा02 ने भी अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह व्यक्त किया है कि कटोरीबाई मृतक रामस्वरूप की चाची थी एवं रामस्वरूप के साथ ही रहती थी विवादित मकान में रामस्वरूप तथा कटोरीबाई रहते थे तथा यह भी स्वीकार किया है कि रामस्वरूप मरने के पहले कटोरीबाई को वसीयत कर गये थे एवं वादी रामस्वरूप का मकान हडपना चाहता है। इस प्रकार वादी साक्षी केशव सिंह वा०सा02 के उक्त कथन से भी यही प्रकट होता है कि प्रतिवादी कटोरीबाई मृतक रामस्वरूप के साथ वादग्रस्त मकान में निवास करती थी एवं मृतक रामस्वरूप ने कटोरीबाई के हक में विवादित मकान की वसीयत की थी।
- वादी लालकिशन वा0सा01 द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि प्रतिवादी कटोरीबाई ने छलपूर्वक मृतक रामस्वरूप से अपने हक में विवादित मकान की वसीयत निष्पादित कराई थी अतः वसीयतनामा दिनांक 24/6/14 शून्य घोषित किये जाने योग्य है परन्तु वादी द्वारा उक्त वसीयत अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। वादी लालकिशन वा0सा01 द्वारा यह भी व्यक्त किया है कि जब रामस्वरूप को वसीयत की जानकारी हुई थी तो मृतक रामस्वरूप ने दिनांक 29/06/14 को प्र0पी03 का पंचनामा लिखवाया था एवं वादी को अपना वारिस नियुक्त किया था परन्त् यहां यह उल्लेखनीय है कि मात्र प्र0पी03 के पंचनामें से वादी को मृतक रामस्वरूप का उत्तराधिकारी नहीं माना जा सकता हैं यदि वास्तव में मृतक रामस्वरूप वादी को वादग्रस्त मकान देना चाहता था तो वह वादी के हक में भी वसीयत निष्पादित कर सकता था परन्तु वादी के पक्ष में मृतक रामस्वरूप द्वारा कोई वसीयत नहीं की गई हैं प्र0पी03 के पंचनामें से वादी न तो मृतक रामस्वरूप का उत्तराधिकारी माना जा सकता है और न ही उक्त पंचनामें से वादी को विवादित मकान पर कोई स्वत्व प्राप्त होता हैं। जहां तक आधिपत्य का प्रश्न है तो स्वयं वादी लालकिशन वा0सा01 तथा वादी साक्षी केशव सिंह वा0सा02 द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि वादग्रस्त मकान में कटोरीबाई रहती है । वादी साक्षी केशवसिंह वा0सा02 जो कि वादी लालकिशन का भाई है ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी व्यक्त किया है कि वादी लालकिशन सहित वह चार भाई है एवं चारो भाई एक साथ एक ही मकान में ग्राम सिरसौदा में निवास करते हैं। इस प्रकार केशव सिंह वा0सा02 के उक्त कथन से यही प्रकट होता है कि वादी विवादित मकान में निवास नहीं करता है बल्कि अपने भाईयों के साथ सम्मिलत रूप से ग्राम सिरसौदा के मकान में निवास करता हैं । वादी द्व ारा ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह दर्शित होता हो कि वादग्रस्त मकान पर वादी का आधिपत्य हैं। ऐसी स्थिति में प्रकरण में आई साक्ष्य से यह भी प्रमाणित नहीं होता है कि वादी का वादग्रस्त मकान पर आधिपत्य हैं।

का एक मात्र स्वत्व एवं आधिपत्यधारी हैं। फलतः उक्त वाद प्रश्न वादी के पक्ष में प्रमाणित नहीं हैं।

## <u>वाद प्रश्न कमांक-3</u>

17. उक्त वादप्रश्न के संबंध में वादी द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि मृतक रामस्वरूप ने कटोरीबाई के हक में वसीयत निष्पादित नहीं की थी अतः वसीयतनामा दिनांक 24/06/14 शून्य घोषित किये जाने योग्य हैं। वादी द्वारा वसीयतनामा दिनांक 24/06/14 को शून्य घोषित कराने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया गया है परन्तु वादी द्वारा उक्त वसीयत अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है वादी द्वारा जिस दस्तावेज को शून्य घोषित कराने की सहायता चाही गई है वह दस्तावेज ही अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया हैं। चूंकि वसीयतनामा दिनांक 24/06/14 वादी द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया हैं। एलतः उक्त वाद प्रश्न भी वादी के पक्ष में प्रमाणित नहीं हैं।

#### वाद प्रश्न कमांक-2 एवं 4

18. उक्त वादप्रश्न का निष्कर्ष वाद प्रश्न क01 के निष्कर्ष पर आधारित है वाद प्रश्न क01 के निष्कर्ष पर आधारित है वाद प्रश्न क01 के निष्कर्ष अनुसार वादी वादग्रस्त मकान पर अपना स्वत्व व आधिपत्य प्रमाणित करने में असफल रहा है। चूंकि वादग्रस्त मकान पर वादी का स्वत्व एवं आधिपत्य प्रमाणित नहीं है अतः यह भी नहीं माना जा सकता है कि प्रतिवादी क01 द्वारा वादग्रस्त मकान पर वादी के आधिपत्य में अवैध हस्तक्षेप किया जा रहा हैं। ऐसी स्थिति में वादी स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। फलतः उक्त वाद प्रश्न भी वादी के पक्ष में प्रमाणित नहीं हैं।

#### वाद प्रश्न कमांक-5

- 19. उक्त वादप्रश्न के संबंध में प्रतिवादी द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि वादी द्वारा विवादित भवन की कीमत के आधार पर मूल्यानुसार न्यायशुल्क अदा करना चाहिये था वादी द्वारा पर्याप्त न्यायशुल्क अदा नहीं किया गया है जबिक वादी द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि उसके द्वारा वाद का मूल्याकंन उचित रूप से कर पर्याप्त न्यायशुल्क अदा किया गया हैं।
- 20. वादी द्वारा प्रकरण में वादग्रस्त मकान की स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा तथा वसीयतनामा दिनांक 24/06/14 को शून्य घोषित करने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया गयाहै एवं वादी द्वारा विवादित मकान के बाजारू मूल्य के आधार पर वादी का मूल्याकंन 50 हजार रूपये कर तदनुसार स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु न्यायशुल्क अदा किया गया है प्रतिवादी द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह दर्शित होता हो कि वादग्रस्त मकान का बाजारू मूल्य 50 हजार रूपये से अधिक है ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता है कि वादी द्वारा वाद का मूल्याकंन उचित रूप से नहीं किया गया हैं। वादी द्वारा विवादित मकान के बाजारू मूल्य के आधार पर वाद का मूल्याकंन 50 हजार रूपये कर तद्नुसार स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु न्यायशुल्क अदा किया गया है। इस प्रकार वादी द्वारा वादका मूल्याकंन उचित रूप से कर पर्याप्त न्यायशुल्क अदा किया गया है। अतः उक्त वाद प्रश्न वादी के पक्ष में प्रमाणित हैं।

#### वाद प्रश्न कमांक-6

21. जक्त वाद प्रश्न के संबंध में प्रतिवादी द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि वादी का वादग्रस्त भवन पर आधिपत्य नहीं है एवं वादी ने वादग्रस्त भवन का कब्जा दिये जाने की सहायता नहीं चाही है अतः प्रस्तुत वाद विर्निदिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत प्रचलन योग्य नहीं है।

22. वादी द्वारा यह वाद वादग्रस्त भवन की स्वत्व घोषणा स्थाई निषेधाज्ञा एवं वसीयतनामा दिनांक 24/06/14 को शून्य घोषित कराने हेतु प्रस्तुत किया गया है तथा वादी द्वारा वाद पत्र में यह अभिवचनित किया गया हैकि वह वादग्रस्त मकान का स्वत्व एवं आधिपत्यधारी हैं। चूंकि वादी द्वारा वादपत्र में वादग्रस्त मकान पर अपना आधिपत्य होना अभिवचनित किया गया है एवं उक्त अभिवचन के आधार पर स्वत्व एवं आधिपत्य की घोषणा की सहायता चाही गई है अतः यह नहीं माना जा सकता है कि प्रस्तुत वाद आधिपत्य वापसी की सहायता न चाहे जाने के कारण विर्निदिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत प्रचलन योग्य नहीं हैं। फलतः उक्त वाद प्रश्न वादी के पक्ष में प्रमाणित है।

### <u>सहायता एवं व्यय</u>

23. समग्र अवलोकन से वादी अपना वाद प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः प्रस्तुत वाद निरस्त किया गया।

24. प्रकरण का संपूर्ण वाद व्यय वादी द्वारा बहन किया जावेगा।

25 अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर अथवा सूची अनुसार जो भी न्यून हो देय होगा।

तदानुसार जयपत्र निर्मित किया जावें।

स्थान – गोहद दिनांक – 31 / 1 / 17

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

सही / – (प्रतिष्ठा अवस्थी) अति0व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1, वर्ग–1 गोहद जिला भिण्ड म0प्र0 सही / – (प्रतिष्टा अवस्थी) अति0व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1 वर्ग—1 गोहद जिला भिण्ड म०प्र०